रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270204
CG-DL-E-17022026-270204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 777] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 815(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **1263 तारीख 19/03/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में NH-352W के कि.मी. 0 से कि.मी. 45 (मिनी Secretariat, रेवाड़ी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"07/05/2025 "** को **"आज समाज"** और **"द हिन्दू"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में NH-352W के कि.मी. 0 से कि.मी. 45 (मिनी Secretariat, रेवाड़ी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: रेवाड़ी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रेवाड़ी					
गांव का नाम: चिल्हर					
1	133 मीन	सामान्य	गैर मु. रास्ता	0.0784	ग्राम पंचायत 133 Min
2	47//14 मीन	निजी	कृषि	0.0126	विकाश पुत्र ताराचंद पुत्र सुरजा वासी 47//14 Min
3	68//20 मीन	निजी	कृषि	0.0784	रामकिशन, रामेश्वरदयाल पुत्र प्रहलाद पुत्र खबान हर दो समभाग 2/3 भाग वासी खलीलपुर योगेश कुमार पुत्र होसियार सिंह पुत्र पहलाद सिंह 1/3 भाग वासिदेह 68//20 Min
4	91//18 मीन	निजी	कृषि	0.0051	इन्द्र पुत्र दुलीचंद पुत्र मामचंद 1/2 भाग प्रदीप कुमार पुत्र जसवंत सिंह पुत्र दुलीचंद 1/2 भाग वासी 91//18 Min
गांव का नाम: ककरोई					
5	164 मीन	सामान्य	गैर मु.	0.001	ग्राम पंचायत 164 Min
6	284 मीन	निजी	गैर मु.	0.0126	ग्राम पंचायत 284 Min
			Total	**0.1881**	

[फा. सं. PIU/EC08/07/04/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 815(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1263 Dated:19/03/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-352W in the stretch of land from Km. 0 to Km. 45 (Mini Secretariat, Rewari) in the district of REWARI in the state of HARYANA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Aaj Samaaj" and "The Hindu" both dated 07/05/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-352W in the stretch of land from Km. 0 to Km. 45 (Mini Secretariat, Rewari) in the district of REWARI in the state of HARYANA.

State: HARYANA			District: REWARI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rewari					
Village: Chillhar					
1	133 Min	Common	G.M. Rasta	0.0784	Gram Panchayat 133 Min
2	47//14 Min	Private	Agriculture	0.0126	Vikash S/o Tarachand S/o Surja Vasi 47//14 Min
3	68//20 Min	Private	Agriculture	0.0784	Ramkishan, Rameshwardayal S/o Prahlad S/o Khaban har do sambhag 2/3 bhag vasi khalilpur

					Yogesh Kumar S/o Hosiyar Singh S/o Pehalad Singh 1/3 bhag vasideh 68//20 Min
4	91//18 Min	Private	Agriculture	0.0051	Inder S/o Dulichand S/o Mamchand 1/2 Bhaag Pradip Kumar S/o Jasvant Singh S/o Dulichand 1/2 Bhaag Vasi 91//18 Min
Village: Kakoria					
5	164 Min	Common	G.M	0.001	Gram Panchayat 164 Min
6	284 Min	Private	G.M	0.0126	Gram Panchayat 284 Min
			Total	**0.1881**	

[F. No. PIU/EC08/07/04/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.17 14:36:57 +05'30'